फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

**राज0 सरकार** बनाम **उमेश केडिया**

किस्म मुकदमा धारा 177 **आर.टी.एक्ट** मुकदमा न0 07/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.06.2022 | आज यह पत्रावली प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिकाक्ता श्री सुनिल कुमार शर्मा एड. ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से पूर्व में दिनांक 25.03.22 को जवाबदावा पेश किया जा चुका है जिसकी नकल वादी पैरोकार सरकार को दिलवाई जाकर जवाब पर यदि कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक से पूर्व पेश करने हेतु आदेशित किया गया था। राज पैरोकार की ओर से प्रतिवादीगण के जवाबदावा पर आदिनांक तक किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने जवाबदावा के कथनों की ताईद कर कथन किया कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि ख.नं. 1679/743 व 1678/743 वाके मौजा पिलानी मुख्य आबादी से चारों ओर से घिरी हुई है तथा विभिन्न गांवों में जाने के लिए सड़कें बनी हुई है जिन पर वाणिज्यक उपयोग भी हो रहा है। भूमि नगरपालिका पिलानी के मास्टर प्लान सन् 2010 से 2031 में भी आवासीस दर्ज है। भूमि मौके पर खाली है। कुल भूमि के 1/50 हिस्से तक पुख्ता निर्माण किया हुआ है जो कानूनन वैध है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने राज्य सरकार को राजस्व के नुकसान को कोई कृत्य नहीं किया है। वादी की ओर से बिना वास्तविक मौका जांच किये वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण राज्य सरकार के धारित नियमानुसार भूमि रूपान्तरण/नियमन निर्धारित शुल्क पर करवाने के लिए तैयार है। इसलिए वाद वादी खारिज फरमाया जावे।<br><br>पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। मौजुदा प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। चूंकि वादी भूमिधारी तहसीलदार स्वयं भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत किस्म परिवर्तित भूमि करने, बेदखली की कार्यवाही करने में सक्षम है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का रूपान्तरण/नियमन निर्धारित शुल्क पर करवाने के लिए तैयार है। इसलिए वादी को कारण वाद पैदा नहीं होने से मौजुदा वाद खारिज योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ | |